न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 52/2016
अनवान :–
श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री पृथ्वीराज भार्गव पुत्र श्री गजराज भार्गव (विक्रेता मालिक) मैसर्स– भार्गव जनरल एण्ड किराणा स्टोर, उदासर रोड़, बीकानेर। निवासी– बी–40, विराटनगर, बीकानेर
2. श्रीमती सरिता देवी पुत्री ईश्वरराम सारस्वत मै0 एसआर ट्रेडिंग कम्पनी गुलाबशाह पीर की दरगाह के पास फड़बाजार बीकानेर। निवासी– पाबुजी मन्दिर के सामने, उदासर बीकानेर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कंवरभान नारंग मै0 कुनाल ट्रेडिंग कम्पनी, हिरनबाजों का मोहल्ला, फड़बाजार बीकानेर। निवासी – 1/2, मुक्ताप्रसाद कॉलोनी, बीकानेर
4. श्री ओमप्रकाश (भागीदार), मैसर्स शिव ऑयल मिल, 102, मुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर(राज.) निवासी कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. पार्टनर जनेन्द्र कुमार पुत्र खेमराज (भागीदार), – मै0 शिव ऑयल मिल 102 पुरानी धान मण्डी श्रीगंगानगर
6. मैसर्स शिव ऑयल मिल, 102 पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर(राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1- प्रार्थी – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2- अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री श्रवणकुमार अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.11.2015 को अप्रार्थीपक्ष पृथ्वीराज भार्गव पुत्र गजराज भार्गव (विक्रेता मालिक) मैसर्सः भार्गव जनरल एण्ड किराणा स्टोर उदासर रोड़, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण के दौरान 12 पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) पैक्ड 480 मिलीलीटर आमजन को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक सरसो का तेल (लड्डू गोपाल) 480 एमएल की प्लास्टिक बोतलों में से चार पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों का तेल (लड्डूोपाल) पैक्ड 480 मिलीलीटर नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता द्वारा बनाये अनुसार मूल्य 180/– रूपये में नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्त्र विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर के कोड एवं क्रमांक एबी– 623 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं प्रार्थी ने किये तथा उक्त चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गौंद से चिपकाया, तत्पश्चात नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप एबी– 623 को नियमानुसार सील चपड़ी कर मौका

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सीलड नमूनों में से एक भाग सील बन्द लिफाफा मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 23.01.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री श्रवणकुमार एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तदन्तर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Mustard Oil (Laddu Gopal)" bearing Code No. and Sr. No. AB-623 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i)of food safety and standards Act, 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थीगणों ने सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड (Printed on Label : Double Filter Mustard Oil WHICH IS AN EXAGGERTION OF QUALITY OF THE PRODUCT) (लेबल पर अंकित डबल फिल्टर सरसों तेल जो कि उत्पाद की गुणवत्ता के अतिश्योक्ति को प्रदर्शित करता है) जो कि विनियम 2.4.2(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 का उल्लघंन है। सरसो तेल (लड्डू गोपाल) पैक्ड 480 मिलीलीटर प्लास्टिक बोतल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थीगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के पास 2015 का अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया है जबकि अप्रार्थी के पास लाईसेंस था। सरसो का तेल लड्डूगोपाल मिसब्राण्ड है तेल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तेल बिल्कुल शुद्ध है तथा उक्त तेल से किसी भी व्यक्ति को सेवन करने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार व सरिता देवी व जनेन्द्र कुमार मैसर्स शिव ऑयल, मिल तथा ओमप्रकाश सभी के पास विधिवत रूप से लाईसेंस लिया हुआ है तथा सरसो तेल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है उक्त तेल जयपुर के संबंधित विभाग से पास किया हुआ है। जिसमें मात्र मिसब्राण्ड पाया गया। विभाग द्वारा पूर्व में कार्यवाही की गई थी। जिससमें माननीय अदातल में जुर्माना लगाया जा चुका है। पुनः उसी माल पर उक्त कार्यवाही दुबारा की गई, जो चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 52 की कार्यवाही समाप्त की जावे तथा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जावे। इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस का खण्डन करते हुये बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सरसों तेल (लड्डू गोपाल) का सैम्पल लिया गया जो जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां सरसों तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड स्तर की पाई गई है।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई सरसों तेल (लड्डू गोपाल) की सैम्पलिंग रिपोर्ट में सरसों तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./3817/Act/ 2015/258 दिनांक 23.01.2016 की रिपोर्ट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Mustard Oil (Double Filter Laddu Gopal) bearing Code No. and Sr. No. AB-623 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(e)(i) of food safety and standards Act, 2006, पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सरसों तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के द्वारा सरसों तेल (लड्डू गोपाल) (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

7. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में सरसों तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 85,000/– अखरे रूपये **पिचयासी हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 60,000 अखरे साठ हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 20–20 हजार रूपये की शास्ति भरने हेतु दायी होगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सरसों तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 25,000/– रूपये में से अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता की शास्ति राशि 5,000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की शास्ति रूपये 20,000/– रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 85,000/– रूपये की शास्ति में से 60,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 20–20 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 5000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वितरक प्रत्येक 10–10 हजार रूपये की शास्ति अदा करेगें।

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner